

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बदायूं, मेरठ, बाराबंकी, जौनपुर, झांसी एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2015

विषय-वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24.12.2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आइटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहिन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 52,00,000/- (रूपये बावन लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि कम्बल क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद का नाम/पत्र संख्या व दिनांक	प्रस्तावित धनराशि (रूपये में)
जिलाधिकारी बदायूं का पत्र संख्या-296 दिनांक 03.01.2015	10,00,000
जिलाधिकारी मेरठ का पत्र संख्या-525 दिनांक 08.01.2015	6,00,000
जिलाधिकारी बाराबंकी का पत्र संख्या-1009 दिनांक 09.01.2015	6,00,000
जिलाधिकारी जौनपुर का पत्र संख्या-15 दिनांक 12.01.2015	12,00,000
जिलाधिकारी झांसी का पत्र संख्या-1501 दिनांक 12.01.2015	10,00,000
जिलाधिकारी मथुरा का पत्र संख्या-1457 दिनांक 14.01.2015	8,00,000
कुल	52,00,000

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-505/1-10-2014-12(34)/2003टी0सी0-1, दिनांक 12.11.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु शासन द्वारा निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,  
(लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या- (1)/1-10-2015, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बरेली, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी एवं आगरा।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, लखनऊ एवं अमरोहा।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत की वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(मदन मोहन)  
अनु सचिव।